नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर मे जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	25/10/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत टापुर में पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट उनके पत्रांक भू0अ0/2020/469 दिनांक 13.02.2020 द्वारा निम्नानुसार बिन्दुवार पेश हुई है– 1. अपेक्षित नहीं है। 2. अपेक्षित नहीं है। 3. यह है कि साबिक खसरा नंबर 579 जो कि एक बड़ा नंबर था, इसमें से वादी को 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, जिसके हाल खसरा नंबर मुताबिम मिलान क्षेत्रफल 427 रकबा 1.24 है0 बा02 है। 4. यह है कि इसी साबिक खसरा नंबर 579 में प्रतिवादीयों को भी भूमि का आवंटन हुआ था, जिसके हाल खसरा नंबर 451 रकबा 1.10 है0 बंजड़ है। चूंकि 579 खसरा नंबर बहुत बड़ा था, जिसमें मौका स्थिति के अनुसार खसरा नंबर 427 पर गोपी पुत्र शिवचंदा बैरवा निवासी टापुर काबिज है। खसरा नंबर 451 पर प्रकाश पुत्र तेज्या काबिज है एवं प्रतिवादीगणों का कब्जा मौके पर इन नंबरान में कहीं नहीं है। साथ ही वादपत्र के साथ प्रस्तुत साबिक नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार की कोई तरमीम भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट किया जाना संभव नहीं होगा कि किस व्यक्ति को किस स्थान पर भूमि का आवंटन हुआ था और कब्जा संभलाया गया था। 5. बिन्दुं संख्या 5 से 12 अपेक्षित नहीं है। अतः साबिक खसरा नंबर 579 के नवीन खसरा नंबर 442,443,444,445,446,447,448, 449,450,451,452 एवं अन्य और भी नंबर बने हैं। रिकॉर्ड एवं कब्जे की स्थिति में भिन्नता है। साथ ही साबिक नक्शा शीट में कोई तरमीम भी नहीं है। अतः कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना उचित नहीं है। तथा प्रकरण 136 एल0आर0 एक्ट की मंशा के अनुरूप नहीं है। अतः खारिज योग्य है। हमने तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व मनन किया। मेंरे अभिमत में साबिक खसरा नंबर 579 के नवीन खसरा नंबर 442,443,444,445,446,447,448, 449,450,451,452एवं